41—(08)—09—2017

पटना में दिनांक—12 सितम्बर, 2017 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

कृषि विभाग

1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में कुल 9149.20 लाख (एकान्बे करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश मद में 4577.86 लाख (पैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार) रूपये एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3051.90 लाख (तीस करोड़ एकावन लाख नब्बे हजार) रूपये तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 1519.44 लाख (पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख चौवालीस हजार) रूपये कुल 9149.20 लाख (एकान्बे करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रूपये की व्यय की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा)

2.	बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर के सुचारू संचालन हेतु Bihar Institute of Correctional Administration Society के गठन एवं इसके Bye Laws एवं Memorandum of Association की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—02 (वाराणसी—औरंगाबाद) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल—बारूण के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल—2.8262 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न—परिशिष्ट—I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—02 (वाराणसी—औरंगाबाद) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल —औरंगाबाद एवं बारूण के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल—5.6688 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न—परिशिष्ट—I) यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त पदाधिकारी–श्री सतीश सिंह ठाकुर, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त) की सेवा को दिनांक– 20.10.2017 को समाप्त हो रही उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि के उपरांत दिनांक–21. 10.2017 से 31.03.2018 तक पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तारित किये जाने के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दंड संसूचन संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2763, दिनांक–21.02.2012 को निरस्त करते हुए श्री गयानन्द यादव (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–947/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध पुनः जाँच कराये जाने एवं सेवा में पुनःस्थापित किये जाने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम–4, 2011) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या–17408 दिनांक–30.12.2016 के परिशिष्ट–1 के क्रमांक–7 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन जोड़े गये तीन नई सेवाओं यथा (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन (ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना) एवं (iii) राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण हेतु सभी प्रकार के आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के स्थान पर प्रखण्ड स्तर पर ही प्राप्त किये जाने को प्रतिस्थापित करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर जिला न्यायाधीश संवर्ग के कुल 08 (आठ) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पुनर्नियोजित कर पदस्थापन के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा)

9. राज्य की काराओं में पदस्थापित सहायक अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं अधीक्षक को वर्दी/पोशाक के बदले नगद राशि के भुगतान के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

10. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल मोतिहारी के अंतर्गत संग्रामपुर से परशुरामपुर तक पथ के कि०मी० 0.0 से कि०मी० 20.80 (कुल लंबाई 20.80 कि०मी०) का निर्माण कार्य (जॉब सं०–CRF-BR-2014-15/66) कुल ₹ 3123.56 लाख (एक्कतीस करोड़ तेइस लाख छप्पन हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

11. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के गाँधी चौक से नगरपालिका चौक के लिए फ्लाई ओभर का निर्माण कार्य (जॉब सं०–CRF-BR-2017-18/80) कुल ₹41131.33 लाख (चार सौ ग्यारह करोड़ एकतीस लाख तेतीस हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

13 आई०टी०/आई०टी०ई०एस० निवेश प्रोत्साहन विजन, 2017 तथा ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण) विजन, 2017 के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

14. डा० मो० सादिक चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इचालो, पूर्णियाँ को अनाधिकृत अनुपस्थित के अरोप में "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली– 2007" की कंडिका–2 के नियम–14(XI) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 14. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

15.	बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 की स्वीकृति।	15. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

16.	श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटना सिटी के भूमि अंतरण करने के लिए प्रावधान करने हेतु बिहार कृषि बाजार प्रांगण अध्यादेश, 2017 की स्वीकृति।	16. **स्वीकृत।**

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार